सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

श्री जीतन राम मांझी
मुख्यमंत्री, बिहार

श्री नरेन्द्र नारायण यादव
मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार

वर्ष 2014 -2015
के बजट की मांग संख्या - 40 पर

मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

का

वक्तव्य

वर्ष 2014–15 के बजट की माँग सं0–40 पर

मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

का वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष महोदय,

भूमि प्रबंधन की पारदर्शी व्यवस्था, भू–अभिलेखो के नियमानुसार कालबद्ध रूप से निर्माण एवं संधारण तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों के सदस्यों को आवश्यकतानुसार आवास एवं जीविकोपार्जन हेतु एवं भूमि उपलब्ध कराने तथा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के सफल क्रियान्वयन के उद्देश्य से जनता की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है।

सुशासन के माध्यम से हमारी सरकार द्वारा समाज के महादलित वर्ग के साथ–साथ अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के सम्मानपूर्वक जीवन–यापन करने हेतु संसाधन उपलब्ध कराने के कार्य को प्राथमिकता देते हुए भूमि का सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ प्रबन्धन प्रारम्भ कर दिया गया है।

1. **महादलित विकास योजना**– महादलित विकास योजना के अन्तर्गत वासभूमि रहित महादलित परिवारों को प्रति परिवार 03 डिसमिल वास भूमि उपलब्ध कराने की योजना वित्तीय वर्ष 2009–10 से राज्य में लागू है।

इस योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम वासभूमि रहित महादलित परिवारों को गैरमजरूआ मालिक / खास, गैरमजरूआ आम भूमि की बंदोबस्ती तथा बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत वासगीत पर्चा द्वारा वासभूमि उपलब्ध करायी जाती है। जिन वासभूमि रहित परिवारों को उपर्युक्त श्रेणी के भूमि से आच्छादित नहीं किया जा सकता है, उन्हें रैयती भूमि की क्रय नीति के तहत 20000 / – रूपए की वित्तीय अधिसीमा के अधीन प्रति परिवार 03 डिसमिल रैयती भूमि क्रय कर वासभूमि उपलब्ध कराया जाता है।

जमीन के बाजार मूल्य में वृद्धि होने के कारण 20000/– रू0 के मूल्य पर 3 डि0 जमीन के क्रय में हो रही कठिनाईयों को देखते हुए **"सरकार द्वारा रैयती भूमि के क्रय के नयी नीति के तहत् न्यूनतम प्राक्कलित मूल्य (MVR) के आधार पर रैयती भूमि का क्रय कर वासरहित महादलित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर मंत्री परिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।"**

महादलित विकास योजना से अभी तक सभी स्त्रोतों से 2,21,144 परिवारों को 6694.40 एकड़ जमीन उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें अबतक कुल–80066 (अस्सी हजार छियासठ) वासरहित महादलित परिवारों को गैरमजरूआ मालिक/खास भूमि बन्दोबस्ती से उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें सन्निहित रकबा 2642.76 एकड़ है। इसी प्रकार 43106 (तेतालीस हजार एक सौ छः) वासरहित महादलित परिवार को गैरमजरूआ आम भूमि की बन्दोबस्ती द्वारा वासभूमि उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें सन्निहित रकबा 1161.52 एकड़ है।

बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत कुल–57336 (सनतावन हजार तीन सौ छतीस) महादलित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें सन्निहित रकबा 1673.85 एकड़ है।

रैयती भूमि की क्रय नीति, 2010 के अन्तर्गत रैयती भूमि के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में 1961.48/– लाख रूपए का बजट उपबन्ध है। यह राशि सभी जिलों को अवशेष महादलित परिवार की संख्या के आलोक में आवंटित की जायेगी। बिहार महादलित विकास योजनान्तर्गत रैयती भूमि क्रय नीति, 2010 के अन्तर्गत अबतक कुल–40636 वासरहित महादलित परिवारों को 03 डिसमिल प्रति परिवार के दर से रैयती भूमि क्रय कर वासभूमि उपलब्ध कराई गई है। इसमें कुल सन्निहित रकबा 1216.27 एकड़ भूमि है। इस प्रकार उक्त सभी श्रोतों से कुल 221144 परिवारों को कुल 6694.40 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी गयी है।

अद्यतन सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में कुल 25679 (पचीस हजार छः सौ उनासी) वासरहित महादलित परिवार हैं, जिन्हें इस योजना के तहत वासभूमि उपलब्ध कराया जाना है।

सभी स्त्रोतों से वासरहित महादलित परिवारों को उपलब्ध करायी गयी वासभूमि से संबंधित विवरणी :–

जमीन का स्वरूप (स्त्रोत)	लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि		उपलब्धि का प्रतिशत
		परिवारों की संख्या	बन्दोबस्त भूमि का रकबा (एकड़ में)	
गैरमजरूआ मालिक भूमि	78311	80066	2642.76	102.24
गैरमजरूआ आम भूमि	47115	43106	1161.52	91.49
वासगीत पर्चा	52737	57336	1673.85	108.72
क्रयनीति के अन्तर्गत	68660	40636	1216.27	59.18
कुल	**246823**	**221144**	**6694.40**	**89.60**

पुनःसर्वेक्षण (द्वितीय चरण का सर्वेक्षण) :–

महादलित योजनान्तर्गत प्रथम चरण के सर्वेक्षण के दौरान जो परिवार किसी कारणवश छूट गए थे, अथवा इस दौरान व्यस्क होकर पृथक परिवार के रूप में स्थापित हो गए हैं, का पुनसर्वेक्षण (द्वितीय चरण का सर्वेक्षण) कराया गया है। इस प्रकार महादलित विकास योजनान्तर्गत दो चरणों (प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण) के सर्वेक्षण के उपरान्त कुल लक्ष्य 246823 वासरहित परिवारों के लक्ष्य के विरूद्ध वर्ष 2013–14 में चारों श्रोतों से कुल 221144 वासरहित महादलित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध करायी गयी है। शेष 25679 वासरहित महादलित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने हेतु उक्त योजना में दो वर्षों की वृद्धि की गयी है।

2. गृहस्थल योजना

राज्य में सुयोग्य श्रेणी यथा अनुसूचित जाति (महादलित को छोड़कर), अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एनेक्सर–I तथा एनेक्सर–II के वैसे परिवार जिन्हें वासभूमि

उपलब्ध नहीं है तथा जिन्हें सरकारी भूमि अथवा बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत पर्चा द्वारा वासभूमि उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है, को भी 20000.00 रूपये में 03 डिसमिल क्रय कर वासभूमि उपलब्ध करायी जाती है, लेकिन उक्त योजना के तहत् भी 20000/– रू0 में 3 डि0 जमीन के क्रय में हो रही कठिनाई के कारण न्यूनतम प्राक्कलन मूल्य (MVR) के आधार पर रैयती भूमि क्रय का प्रस्ताव प्रगति पर है।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में 180.00 लाख रूपए का आवंटन राज्य के जिलों को उपलब्ध कराया गया है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजनान्तर्गत 334.27 लाख रूपये का योजना बजट उपलब्ध है जिससे सुयोग्य श्रेणी यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग–I एवं पिछड़ा वर्ग–II के वासरहित परिवारों को वास हेतु 03 डिसमल भूमि उपलब्ध कराया जायगा।

गृहस्थल योजनान्तर्गत उपलब्धि वित्तीय वर्ष 2013–14

वित्तीय वर्ष 2013–14 में जिलों को आवंटित राशि (लाख रूपये में)	भौतिक उपलब्धि	
	लाभान्वित परिवारों की संख्या	रकबा (एकड़ में)
. 180.80	978	40.56

3. सम्पर्क सड़क योजना

सम्पर्क सड़क योजनान्तर्गत राज्य में वैसे ग्राम/टोले/मोहल्ले जिनका सम्पर्क मुख्य सड़क से नहीं है, को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु रैयती भूमि के अर्जन के लिए जिलों को वित्तीय वर्ष 2013–14 में 319.20 लाख रूपए आवंटित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अबतक 112 योजनाएँ पूर्ण करते हुए 125 ग्राम/टोले/मोहल्ले को सम्पर्क सड़क से जोड़ा गया है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल 100.00 लाख रूपये का बजट उपबन्ध किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में सम्पर्क सड़क योजनान्तर्गत उपलब्धि

वित्तीय वर्ष 2013–14 में जिलों को आवंटित राशि (लाख रूपये में)	इस योजना के तहत प्रारम्भ से अबतक पूर्ण हो गयी योजनाएँ	ग्राम/टोले/मोहल्ले की संख्या जिन्हें सम्पर्क सड़क से जोड़ा गया
319.20 लाख	112	125

उपर्युक्त गृह स्थल एवं सम्पर्क सड़क योजनान्तर्गत 2013–14 में कुल 500.00 लाख रूपये स्वीकृत किये गये, जिसके विरूद्ध कुल 139.85 लाख रूपये व्यय किया गया।

4. सम्पर्क सड़क (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक) योजना

सम्पर्क सड़क (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक) योजनान्तर्गत राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए गृहस्थल हेतु रैयती भूमि के क्रय एवं अनुसूचित जाति के ग्रामों / टोलों / मोहल्लों को सम्पर्क सड़क से जोड़ने के लिए रैयती भूमि के अर्जन दोनों योजना में सम्मिलित हैं। इस योजना के अन्तर्गत राज्य में वित्तीय वर्ष 2013–14 में 100. 00 लाख रूपए का बजट उपबन्ध के विरूद्ध 5.53 लाख रूपये व्यय किये गये। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में ट्राईवल सब प्लान (टी०एस०पी०) योजनान्तर्गत 130.77 लाख रूपये का बजट उपबन्ध है।

(5) विभाग द्वारा बनाये गये नये अधिनियम / नियमावली / नीति / संकल्प

1. बिहार भूमि दाखिल–खारिज नियमावली, 2012
2. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012
3. बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) अधिनियम, 2012
4. बिहार लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन) अधिनियम, 2012
5. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) अधिनियम, 2012
6. बिहार भूमि दाखिल–खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2012
7. बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्त्तन) (संशोधन) अधिनियम, 2012
8. बिहार राज्य मेला प्राधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012
9. बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) अधिनियम, 2013
10. बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा–9 की उप धारा–(1) में उल्लिखित अधिनियम / हस्तकों की सूची में संशोधन।
11. सरकारी भूमि के अन्तर्विभागीय निःशुल्क एवं स्थायी हस्तानान्तरण की शक्ति समाहर्त्ताओं / प्रमंडलीय आयुक्त में प्रत्योजित करने का संकल्प सं0–359 दिनांक–19.05.2014

6. बिहार भूमि न्यायाधिकरण :—

1. बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009 राज्य में लागू है। इस अधिनियम की धारा–4(1) के अधीन अध्यक्ष, सदस्य (न्यायीक) एवं सदस्य (प्रशासनिक) की नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2011–12 में की गयी है। तथा उनके द्वारा कार्यो का संपादन भी किया जा रहा है। बिहार भूमि न्यायाधिकरण दिनांक–16.10.2012 से 11/ऑफ पोलो रोड़, पटना स्थित सरकारी भवन में क्रियाशील है।

2. बिहार भूमि न्यायाधिकरण द्वारा निष्पादित वादो का विवरण :—

क्र0	वर्ष	दायर वादों की संख्या	निष्पादित वादों की संख्या
1	2012	23	19
2	2013	1009	412
3	2014 (अद्यतन)	448 (अद्यतन)	56 (अद्यतन)
कुल		**1480**	**487**

नोट :— (उपर्युक्त दायर वादो की संख्या एवं निषादित वादों की संख्या में पटना उच्च न्यायालय, पटना से हस्तांतरित होकर प्राप्त 289 वाद भी शामिल है।)

7. सरकारी भूमि का अन्तरण :—

वित्तीय वर्ष 2013–14 में अब तक स्वीकृत भूमि के हस्तानान्तरण के 130 मामले में विभागों / निगमों एवं अन्य संस्थाओं के 518 एकड़ 16 डिसमिल भूमि हस्तानान्तरित की गयी है।

8. सरकारी भूमि की घेराबंदी :—

1. सरकारी भूमि के लगातार हो रहे अतिक्रमण को रोकने एवं उन्हें अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु सरकारी भूमि का संरक्षण कर भूमि सुरक्षित किये जाने हेतु सरकारी (लोक) भूमि की घेराबंदी कराये जाने की आवश्यकता को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2013–14 में इस योजना का प्रारम्भ कर प्राथमिकता के आधार पर जिला मुख्यालय एवं अन्य शहरी क्षेत्रों की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर पक्की घेराबंदी किए जाने का निर्णय लिया गया है।

2. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष, 2014–15 में 5.00 करोड़ रूपए का उद्व्यय प्राप्त हुआ

है। वित्तीय वर्ष, 2014–15 में राज्य के सात जिलों में यथा सारण (छपरा), बांका, अरवल, कटिहार, बक्सर, सहरसा एवं जमूई जिलों से प्राप्त प्राकलनों पर भवन निर्माण विभाग से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कुल–5.00 करोड़ रूपए का आवंटन शहरी भूमि की घेराबन्दी योजनान्तर्गत किए जाने का प्रस्ताव है।

3. वार्षिक योजना, 2014–15 अन्तर्गत 100.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि योजना उद्व्यय स्वीकृत करने हेतु योजना एवं विकास विभाग से अनुरोध किया गया है।

9. दाखिल–खारिज

लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत् दाखिल खारिज से सम्बन्धित सभी आवेदन पत्र अंचल कार्यालय में संचालित RTPS Counter पर प्राप्त किया जाता है एवं उसका निष्पादन उक्त अधिनियम के तहत् निर्धारित अवधि में किया जाता है। दाखिल–खारिज वादों के त्वरित निष्पादन हेतु सभी समाहर्त्ताओं को निदेश दिया गया है कि प्रत्येक अंचल में प्रत्येक माह के द्वितीय तथा चतुर्थ मंगलवार को सभी अंचलों में हल्का स्तर पर राजस्व शिविर का आयोजित कर मामलों का त्वरित निष्पादन किया जाए। नामान्तरण की कार्रवाई पारदर्शी, प्रभावी एवं त्वरित बनाने के उद्देश्य से निबन्धन कार्यालयों से अंचल अधिकारीगण को एल0 एल0 आर0 की नोटिस के साथ निबन्धित दस्तावेज की प्रति भी प्राप्त कराने का आदेश दिया गया है, ताकि विहित प्रक्रियानुसार नोटिश देते हुए अंचलाधिकारी नामान्तरण की कार्रवाई करें नामान्तरण के पश्चात शुद्धि पत्र निर्गत कर जमाबन्दी कायम करते हुए मालगुजारी रसीद प्राप्त कर हल्का कर्मचारी को मांग पंजी में वांछित सुधार कराने का निर्देश दिया गया है। दाखिल–खारिज की वर्षवार उपलब्धि निम्न प्रकार है :–

वित्तीय वर्ष	कुल दायर वादों की संख्या	निष्पादित वादों की संख्या
2008–09	992414	974528
2009–10	927128	891618
2010–11	686494	642564
2011–12	833070	754402
2012–13	1768789	1768717
2013–14	1720696	1711482
कुल	**6928591**	**6743311**

10. सैरात :–

सैरातों की बन्दोबस्ती से सम्बन्धित विवरणी निम्नवत् है :–

वित्तीय वर्ष	सैरातों की संख्या	बन्दोबस्त सैरातों की सं0	बन्दोबस्ती / विभागीय वसूली से प्राप्त राशि (रू0 लाख में)
2008–09	6071	4422	605.15
2009–10	7928	4406	916.42
2010–11	6927	3368	946.11
2011–12	6903	3607	102.33
2012–13	6095	2743	109.33
2013–14	5888	3935	148.95

11. भू–लगान :–

भू–लगान की वसूली न सिर्फ राजस्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वरन भूमि संबंधी विवादों के निष्पादन एवं सामाजिक शांति बनाये रखने में भी अहम भूमिका अदा करती है।

राजस्व लगान की वसूली से सम्बन्धित विवरणी निम्नवत् है :–

वित्तीय वर्ष	भू–लगान वसूली का लक्ष्य (रू करोड़ में)	लगान की प्राप्ति (रू करोड़ में)	प्राप्ति प्रतिशत
2008–09	100.00	45.37	45.37
2009–10	110.00	39.16	35.60
2010–11	112.00	19.62	17.52
2011–12	140.00	28.03	20.02
2012–13	185.00	43.55	23.54
2013–14	205.00	67.96	33.15

12. <u>निलाम–पत्र वाद</u> :–

वर्ष 2008–09 में कुल 106.77 करोड रूपये की वसूली की गई। वर्ष 2009–10 में कुल 69.53 करोड़ रूपये की वसूली की गई। वर्ष 2010–11 में कुल 49.65 करोड़ रूपये की वसूली की गई। वर्ष 2011–12 में कुल 55.89 करोड़ रूपये की वसूली की गई। वर्ष 2012–13 में कुल 100.81 करोड़ रूपये की वसूली की गई। वर्ष 2013–2014 में कुल 188.77 करोड़ रूपये की वसूली की गयी।

13 <u>बिहार राज्य मेला प्राधिकार के तत्वावधान में मेलों का आयोजन (2013–14)</u> :–

(i) वित्तीय वर्ष 2013–14 में बिहार राज्य मेला प्राधिकार के तत्वावधान में निम्नांकित मेलों के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु दिए गये आवंटन की स्थिति।

क्रमांक	मेला का नाम एवं जिला	स्वीकृत राशि
1	पुनपुन अर्न्तराष्ट्रीय खरमास पितृपक्ष मेला, पटना–2012–13	1946000
2	पुनपुन अर्न्तराष्ट्रीय पितृपक्ष मेला, पटना–2012–13	832425
3	बाबा केवल स्थान मेला, समस्तीपुर 2011,2012 एवं 2013	1893990
4	श्रावणी मेला, लखीसराय–2012	800000
5	श्रृंगी श्रृषिधाम माधी पूर्णिमा एवं महाशिवरात्री मेला लखीसराय–2013	992000
6	बाबा इन्द्रदमनेश्वर महादेव मंदिर माधी पुर्णिमा एवं महाशिवरात्री मेला लखीसराय	1230000
7	श्री श्री 108 बाबा गणिराम अखाड़ा परिसर में आषाढ़ी पुर्णिमा मेला नालंदा–2012	7000
8	अशोक धाम कार्तिक पूर्णिमा मेला, लखीसराय–2012	615000
9	कार्तिक पूर्णिमा मेला, वैशाली–2012	1000000
10	श्रावणी मेला–बाँका–2012	325000
11	संहेश्वर स्थान महाशिवरात्री मेला–मधेपुरा–2012	1598102
12	बाबा हरिगिरिधाम माधी पुर्णिमा एवं महाशिवरात्री मेला, बेगूसराय–2013	1400000

13	राष्ट्रीय चौहरमल मेला, धोश्वरी, पटना	2000000
14	श्रावणी मेला, भागलपुर–2013	6000000
15	श्रावणी मेला, बांका–2013	3800000
16	श्रावणी मेला, मुंगेर–2013	2000000
17	श्रावणी मेला, बेगुसराय–2013	2825200
18	श्रावणी मेला, लखीसराय–2013	2000000
19	श्रावणी मेला, पूर्वी चम्पारण–2013	230000
20	बाबा गरीबनाथ श्रावणी मेला, मुजफ्फरपुर–2013	3345550
21	बाबा दुधनाथ श्रावणी मेला, मुजफ्फरपुर–2013	1811280
22	श्रावणी मेला, जमुई–2013	1000000
23	पहलेजा घाट श्रावणी मेला, 2013	200000
24	पुनपुन अर्न्तराष्ट्रीय पितृपक्ष मेला–2013	1000000
25	पितृपक्ष मेला गया–2013	4000000
26	सिमरिया मेला, बेगुसराय, 2003–04 एवं 2004–05	469536
27	सिमरिया मेला बेगुसराय–2013	1000000
28	सिमरिया मेला, बेगुसराय–2012	812875
29	कार्तिक पुर्णिमा मेला, बेगुसराय–2013	680000
30	बाबा हरिगिरिधाम माघी पुर्णिमा मेला, बेगूसराय–2014	715000
31	बाबा हरिगिरिधाम महाशिवरात्री मेला–बेगुसराय–2014	715000
32	देव चैती छठ मेला, औरंगाबाद–2013	374185
33	देव कार्तिक छ.ठ मेला, औरगांबाद–2013	462470
34	देव कार्तिक छठ मेला, औरगाबाद–2012	36000
	कुल	**48116613**

(ii) **वित्तीय वर्ष 2014–15 की अवधि में हाट, बाजार, कचहरी आदि के संरक्षण हेतु कुल उपबंधित राशि 5,88,17000/– रुपया है, जिसके विरूद्ध चालू वित्तीय वर्ष में श्रावणी मेला के आयोजनार्थ विभिन्न जिलों को उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्नवत् है :–**

क्र0	मेला / जिला का नाम	विमुक्त राशि
1	श्रावणी मेला, 2014, भागलपुर	58,00,000
2	श्रावणी मेला, 2014, बांका	35,70,000
3	श्रावणी मेला, 2014, मुंगेर	18,00,000
4	बाबा इन्द्रदमनेश्वर (अशोकधाम), श्रावणी मेला, 2014, लखीसराय	18,00,000
5	श्रावणी मेला, 2014, जमुई	10,00,000
6	बाबा गरीबनाथ महादेव मंदिर, श्रावणी मेला, 2014, मुजफ्फरपुर	23,00,000
7	बाबा दूधनाथ महादेव मंदिर, श्रावणी मेला, 2014, मुजफ्फरपुर	13,00,000
8	बाबा हरिगिरीधाम, श्रावणी मेला, 2014, बेगुसराय	18,00,000
9	अरेराज, श्रावणी मेला, 2014, पूर्वी चम्पारण	2,30,000
	कुल	**1,96,00,000**

14. भूमि बैंक :–

वित्तीय वर्ष 2013–14 यथा दिनांक 01.04.2013 से 31.12.2013 तक विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु अर्जित भूमि का विवरण निम्नवत् है :–

(क)

क्र0	परियोजना का नाम	कुल रकवा (एकड़ में)
1	**2**	**3**
1	रेलवे परियोजना	109.01

2	काँटी थर्मल पावर स्टेशन, मुजफ्फरपुर	31.245
3	पीरपैती थर्मल पावर, भागलपुर	11.75
4	चौसा थर्मल पावर, बक्सर	14.72
5	कजरा थर्मल पावर, लखीसराय	36.35
6	एन0 पी0 जी0 सी0, औरगाबाद	219.167
7	बी0 आर0 बी0 सी0 एल0, औरगाबाद	126.53
8	पावर ग्रीड	61.00
9	पुल एवं उपगम पथ (गंगा सहित अन्य नदियों पर)	739.695
10	बागमती तटबंध	63.02
11	आई0 टी0 बी0 पी0	123.42
12	सम्पर्क सड़क	4.42
13	भारत–नेपाल सीमा पथ	91.25
14	कला एवं संस्कृति	59.2
15	बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप, वैशाली	72.23
16	लैंड बैंक (सुपौल एवं अररिया–जिला मुख्यालय हेतु)	187.97
17	अन्य परियोजना	89.3267
	कुल योग :–	**2040.3037**

(ख) वित्तीय वर्ष–2014–15 में अधियाची विभाग / प्राधिकार से प्राप्त होने वाले अधियाचना के आधार पर विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु भूमि अर्जन के भावी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की विवरणी :–

1. जिला मुख्यालय / अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय स्तर पर लैंड बैंक योजना
2. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)
3. जोगबनी से बिराटनगंर भारत–नेपाल नई बड़ी रेल लाईन

4. जयनगर–बिजलपुरा–वर्दीवास भारत–नेपाल नई बड़ी रेल लाईन

5. अररिया–गलगलिया नई बड़ी रेल लाईन

6. दरभंगा–कुशेश्वर स्थान नई बड़ी रेल लाईन

7. गया–चतरा नई बड़ी रेल लाईन

8. भारत–नेपाल सीमा पथ

नोट :– लैंड बैंक योजना के तहत राज्यन्तर्गत जिला , अनुमंडल एवं प्रखंड मुख्यालय हेतु क्रमशः 100 एकड़, 50 एकड़ एवं 30 एकड़ भूमि अर्जन/अधिग्रहण की कार्रवाई उद्योग विभाग द्वारा जिला स्तर पर समर्पित अधियाचना के आधार पर किया जाना है।

(ग) सरकारी भूमि का हस्तानान्तरण :–

वित्तीय वर्ष 2013–14 में हस्तान्तरित/ बन्दोबस्त सरकारी भूमि की विवरणी :–

क्र0	विभाग / उपक्रम जिन्हें भूमि हस्तान्तरित की गयी।	रकबा (एकड) में	कुल रकवा
1	2	3	4
1	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0	30.5776	विद्युत विभाग का कुल रकवा– 163.5976
2	नवीनगर पावर जेनोंटिग कम्पनी	6.00	
3	बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूसन कं0 लिमिटेड	2.34	
4	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	20.00	
5	नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	12.08	
6	कांटी बिजली उत्पादन निगम लि0, मुजफ्फरपुर	40.33	
7	बिहार ग्रिड कम्पनी लि0	11.94	
8	205 विस्थापित परिवार	6.15	
9	16 भूमिहीन परिवारों के बसावट हेतु	0.21	
10	भूमिहीन परिवार को बसाने हेतु	0.01	
11	पशु एवं मत्स्य संसाधन	0.95	
12	गृह मंत्रालय, भारत सरकार	125.91	

13	स्वास्थय विभाग	6.85	
14	पंचायती राज विभाग	0.08	
15	पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1.55	
16	वित्त सेवा गृह निर्माण समिति	11.86	
17	स्कूल ऑफ योग मुंगेर	2.48	
18	पथ निर्माण विभाग	3.3975	
19	अनु0जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	4.35	
20	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	0.7	
21	कृषि विभाग	100.00	
22	शिक्षा विभाग	13.75	
23	अति पिछड़ा कल्याण विभाग	1.70	
24	आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार	38.3175	
25	गृह विभाग	0.96	
26	सुन्नी वक्फ बोर्ड	0.517	
27	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	0.05	
28	उद्योग विभाग	1.10	
29	विधि विभाग	14.048	
30	श्रम संसाधान विभाग	4.00	
31	परिवहन विभाग	1.0163	
32	ग्रामीण विकास विभाग	2.00	
33	आपदा प्रबंधन विभाग	0.12	आपदा विभाग का कुल रकवा–4.11
34	133 परिवार	3.99	
35	समाज कल्याण विभाग	3.33	
36	कला संस्कृति एवं युवा विभाग	20.04	

37	नगर विकास एवं आवास विभाग	28.007	
38	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लि0	0.50	
39	सहकारिता विभाग	0.20	
40	विज्ञाण एवं प्रावैधिकी विभाग	5.00	
41	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	1.00	
42	गृह कारा विभाग	0.30	
43	ग्रामीण कार्य विभाग	0.20	
44	पर्यटन विभाग	0.80	
45	केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार	8.00	
	कुल भूमि	**536.7109**	

वित्तीय वर्ष, 2013–14 में अबतक 133 भूमि हस्तान्तरण/बन्दोबस्ती सम्बन्धी राज्यादेश विभागीय मुख्यालय स्तर से निर्गत किए गए, जिनमें 536 एकड़ 7109 डिसमिल भूमि विभिन्न विभागों/उद्यमों एवं अन्य को हस्तान्तरित किए गए हैं।

15. भू–अभिलेखों का अद्यतनीकरण (विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम)

इस योजनान्तर्गत कैडस्ट्रल सर्वेक्षण द्वारा तैयार किए गए भू–अभिलेखों को अद्यतन करते हुए भूमि का पूर्ण सर्वेक्षण तथा खतियान का प्रकाशन तथा लगान निर्धारण करना मुख्य उद्देश्य है। लगान निर्धारण के फलस्वरूप सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होती है। यह एक जन कल्याणकारी योजना है, जिसमें रैयतों के हितो की रक्षा की जाती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति तथा भू–अभिलेखों के अद्यतनीकरण कार्य हेतु बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 अधिनियमित किया गया है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012 आधुनिक तकनीक के उपयोग से अद्यतन सर्वे मानचित्र के निर्माण का प्रावधान किया गया है।

- केन्द्र प्रायोजित योजना (नेशलन लैण्ड रिकार्डस मॉडराईजेशन प्रोग्राम (NLRMP) –

(क) <u>डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार</u> :–

आधुनिक तकनीक से तैयार किए गए री–सर्वे मानचित्र तथा खतियान के डाटा का प्रत्येक अंचल में संधारण तथा समय समय पर अद्यतीकरण करते हुए भू–धारियों को भू–अभिलेखों की आपूर्ति कराया जाना है।

भवन निर्माण कार्य हेतु राज्य योजना मद से 30.65 लाख रूपये प्रति अंचल तथा आधुनिक उपकरणों के क्रय हेतु भारत सरकार द्वारा 12.50 लाख रूपये प्रति अंचल की दर से राशि विमुक्त की जाती है। कुल स्वीकृति 23042.10 लाख रूपये की है।

भू–अभिलेखों का मुख्य स्त्रोत अंचल कार्यालय है। आधुनिक तकनीक से तैयार किए गए री–सर्वे मानचित्र तथा अद्यतन खतियान का उचित संधारण तथा समय समय पर अद्यतीकरण करते हुए भू–धारियों को इसकी आपूर्ति के कार्य हेतु आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता होगी। इन आधुनिक उपकरणों को प्रत्येक डाटा केन्द्र सह आधुनिक अभिलेखागार में स्थापित कराया जा रहा है। राज्य के सभी 534 अंचलों में भवन निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है। अभी तक 133 अंचलों में भवन निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा 75 अंचलों में आधुनिक उपकरण बेलट्रॉन द्वारा स्थापित किये जा चुके हैं।

(ख) <u>सर्वे मानचित्रों का डिजिटाईजेशन</u> :–

वर्षो पूर्व कागज पर तैयार किए गए राजस्व मानचित्रों को नष्ट होने से बचाने तथा खतियान के साथ Integrate करने के लिए सॉफ्ट कॉपी में मानचित्रों का संधारण किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम राज्य के 76597 कैडस्ट्रल शीट का डिजिटाईजेशन कार्य पूरा कर लिया गया है। **"बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग से राज्य के सभी जिलों के राजस्व मानचित्रों की ऑनलाईन आपूर्ति का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिससे किसानों को पहले तीन दिनों की तुलना में 10–15 मिनटों में राजस्व नक्शा की आपूर्ति की जाती है।"** नालंदा, पटना तथा भोजपुर सदर अंचल कार्यालय से संबंधित जिला के सभी अंचलों के राजस्व मानचित्रों की ऑनलाईन आपूर्ति का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। दिसम्बर, 2014 तक सभी जिलों के सदर अंचल कार्यालय से ऑनलाईन आपूर्ति का कार्य प्रारंभ करने का लक्ष्य है।

(ग) <u>री–सर्वे</u> :–

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के आलोक में हवाई फोटोग्राफी एवं जमीनी सत्यापन की संकर प्रणाली के माध्यम से री–सर्वे मानचित्र तैयार कराया जा रहा है। अद्यतन री–सर्वे मानचित्र के आधार पर बंदोबस्त कार्यालयों द्वारा अद्यतन खतियान तैयार किया जा रहा है। वर्त्तमान में 12 जिलों का डाटा हवाई फोटोग्राफी के द्वारा संकलित कर लिया गया है तथा स्थल पर सत्यापन के लिए अनुमति हेतु फरवरी, 2014 में रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है। बंदोबस्त कार्यालय, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया तथा लखीसराय जिला के कुल 508 राजस्व ग्रामों का री–सर्वे मानचित्र प्राप्त हुआ है, जिसमें से 432 राजस्व ग्रामों के री–सर्वे मानचित्रों का सत्यापन करते हुए 107 राजस्व ग्रामों में खानापुरी तथा 11 राजस्व ग्रामों में प्रारूप / अंतिम प्रकाशन की कार्रवाई पूरी कर ली गयी है।

(घ) <u>प्रशिक्षण कार्यक्रम</u> :–

भू–अभिलेखों के अद्यतीकरण कार्य हेतु संबंधित पदाधिकारियों / कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक / उपकरणों का प्रशिक्षण देते हुए क्षमता वृद्धि करना है।

आधुनिक उपकरणों के क्रय हेतु भारत सरकार द्वारा 196.07 लाख रूपये के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। भवन निर्माण का कार्य राज्ययोजना मद की राशि से किया गया है।

विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम में भू–अभिलेखों के अद्यतीकरण कार्य हेतु आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसके अंतर्गत भूमि की मापी में ई0टी0एस0 / डी0जी0पी0एस0 तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व मानचित्रों में प्लौट विभाजन के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। अतएव यह आवश्यक है कि बंदोबस्त कार्यालय एवं अन्य राजस्व अधिकारियों / कर्मचारियों को व्यापक प्रशिक्षण देते हुए उनकी क्षमता वृद्धि की जाए ताकि भूमि प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावशाली ढ़ग से लागू किया जा सके। वर्त्तमान में प्राथमिकता के आधार पर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों / अंचलाधिकारियों / कानूनगो / अमीन को आधुनिक उपकरणों का प्रशिक्षण दिया गया है। राज्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना के भवन का निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया है।

इस प्रशिक्षण केन्द्र में भारत सरकार द्वारा विमुक्त शत प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान की राशि से आधुनिक उपकरण तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर स्थापित कराया जा रहा है।

(ङ) डाटा इंट्री / री–डाटा इंट्री / डाटा कनवर्जन :–

राज्य के प्रत्येक भू–धारी के अद्यतन चालू खतियान का निर्माण एवं कम्प्यूटरीकरण करते हुए विभागीय वेबसाईट पर डाटा का प्रकाशन तथा सुविधा केन्द्रों से रैयतों / किसानों को खतियान की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।

इस कार्य हेतु एन0आई0सी0, पटना द्वारा "भू–अभिलेख–2" नाम से सॉफ्टवेयर विकसित कर राज्य के सभी जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है। सॉफ्टवेयर खतियान 14 कॉलम के प्रपत्र पर आधारित है। अभी तक दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर तथा रोहतास जिला का चालू खतियान विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित किया जा चुका है। शेष जिलों के लिए मार्च, 2015 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

भू–अभिलेखों की ऑनलाईन आपूर्ति तथा समय समय पर किए जाने वाले कार्य अद्यतीकरण कार्य के लिए जिला, अनुमंडल एवं अंचल स्तर के कार्यालयों में कम्प्यूटर हार्डवेयर स्थापित किया गया है।

नालंदा, सारण, भागलपुर, मुंगेर, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, सिवान, पूर्णियाँ, कटिहार तथा मोतिहारी जिला में मुख्यालय तथा अनुमंडल स्तर पर कम्प्यूटर हार्डवेयर बेलट्रॉन, पटना द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

भू–अभिलेखों का मुख्य स्रोत अंचल कार्यालय है। अतएव अंचल कार्यालय द्वारा अद्यतन किए गए भू–अभिलेख डाटा के ऑनलाईन उपयोग हेतु अनुमंडल एवं अंचलस्तरीय कार्यालयों के बीच अन्तःसम्बद्धीकरण (Interconnectivity) का लक्ष्य रखा गया है।

कुल 534 अंचल के अंतर्गत 528 डाटा इंट्री ऑपरेटर नियुक्त किए गए हैं। साथ ही 515 अंचलों में हार्डवेयर स्थापित किया गया है। इस निमित्त 495 अंचलों के अंतर्गत नेटवर्किंग की सुविधा उपलब्ध है।

16. (क) अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड के पद पर नियुक्ति :–

(i) बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड के

266 अभ्यार्थियों की नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुसंशा के आलोक में विभाग द्वारा कुल 243 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गयी है।

(ii) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत राजस्व कर्मचारी से अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड के पदों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर कुल 127 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी है। आयोग से अनुसंशा प्राप्त होते ही इन रिक्त पदों पर विभाग द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।

(ख) राजस्व कर्मचारी संवर्ग के पद पर नियुक्ति

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत राजस्व कर्मचारी संवर्ग के 4353 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी है। आयोग से अनुसंशा प्राप्त होते ही इन रिक्त पदों पर विभाग द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।

(ग) अमीन संवर्ग के पद पर नियुक्ति

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत अमीन संवर्ग के कुल 721 रिक्त पदों (जिला उप संवर्ग के 389 पद, भू-अभिलेख एवं परिमाप उप संवर्ग के 35 पद एवं चकबंदी निदेशालय के उप संवर्ग के 297 पद) पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी है। आयोग से अनुसंशा प्राप्त होते ही इन रिक्त पदों पर विभाग द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।

17. चकबन्दी

जोतों की चकबन्दी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्त्तमान में राज्य के 5 जिलों के निम्नलिखित कुल 39 अंचलों में सक्रिय रूप से कार्य जारी है –

भोजपुर	बक्सर	कैमूर	रोहतास	गोपालगंज
1. पीरो	1. डुमरांव	1. मोहनिया	1. सासाराम	1. कटैया
2. संदेश	2. ब्रह्मपुर	2. भभूआ	2. डिहरी	
3. चरपोखरी	3. ईटाढ़ी	3. चांद	3. नासरीगंज	
4. बिहीया	4. सिमरी	4. भगवानपुर	4. काराकाट	

5. बड़हरा	5. नवानगर	5. दुर्गावती	5. विक्रमगंज	
6. उद्वन्तनगर	6. बक्सर सदर	6. चैनपुर	6. दिनारा	
7. शाहपुर	7. राजपुर	7. रामगढ़	7. करगहर	
8. कोईलवर		8. कुदरा	8. शिवसागर	
9. सहार			9. चेनारी	
10. तरारी			10. नोखा	
11. जगदीशपुर			11. दावथ	
12. आरा सदर				

वर्ष, 2014–15 में 150 ग्रामों में चकबन्दी कार्य पूर्ण कर उन्हें चकबन्दी अधिनियम की धारा–26 (क) के अन्तर्गत अनाधिसूचित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अन्तर्गत विभिन्न सम्वर्गो के कुल 745 कर्मियों का नियोजन संविदा के आधार पर करने की कार्रवाई की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2013–14 में 90 ग्रामों में चकबंदी कार्य पूर्ण कर अधिनियम की धारा 26 (क) के अन्तर्गत अनाधिसूचित कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु 1600 लाख रूपये का बजट उपबंध है।

18. <u>बिहार लोक सेवाओं का अधिकार</u> :–

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के सफल कार्यान्वयन हेतु आकस्मिक व्यय के लिए राशि की आवश्यकता होगी। उक्त राशि से बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के कार्यान्वयन हेतु डिसप्ले बोर्ड का अधिष्ठापन/स्टेशनरी आदि पर व्यय/जेनरेटर के ईंधन पर व्यय/क्षेत्रीय कार्यालयों/जिला कार्यालयों पर व्यय किया जायेगा। लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दो सेवा उपलब्ध कराये जाते हैं, जिनकी समय सीमा निम्नवत् है :–

क्र0	सेवा का नाम		नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	सेवा हेतु समय सीमा
1	2	3	4	
1	दाखिल–खारिज	दाखिल–खारिज वादों का निष्पादन	अंचलाधिकारी	18 कार्य दिवस
	(I) नियमित अर्द्ध न्यायिक नयायालय में	(क) आपत्ति रहित वाद		
		(ख) वाद, जिनमें आपत्ति दाखिल की गयी हो	अंचलाधिकारी	60 कार्य दिवस
		(ग) अंतिम आदेश की तिथि के प्रभाव से संशोधन पर्ची का निर्गमन	अंचलाधिकारी	3 कार्य दिवस
	(II) शिविर में	दाखिल खारिज वादो का निष्पादन	अंचलाधिकारी	15 कार्य दिवस
		(क) आपत्ति रहित वाद		
		(ख) आपत्ति विहीन वाद में संशोधन पर्ची का निर्गमन	अंचलाधिकारी	आदेश की तिथि से 03 कार्य दिवस
		(ग) आपत्ति सहित वाद	अंचलाधिकारी	60 दिवस
		(घ) आपत्ति युक्त वाद संशोधन पर्ची का निर्गमन	अंचलाधिकारी	आदेश की तिथि से 03 कार्य दिवस
2	भूमि धारण (पोजेशन) प्रमाण–पत्र	लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट का निर्गमन	अंचलाधिकारी	10 कार्य दिवस

19. भू–दान :–

राज्य अन्तर्गत भू–दान से प्राप्त भूमि का वितरण बिहार भू–दान यज्ञ कमिटी के माध्यम से किया जाता है। राज्य में भूदान से प्राप्त कुल भूमि 6,48,593.14 (छः लाख

अड़तालीस हजार पाँच सौ तिरानवे दशमलव चौदह) एकड़ में से 345380.88 (तीन लाख पैंतालीस हजार तीन सौ अड़तीस दशमलव अठासी) एकड़ भूमि सम्पुष्ट की गयी है। अभी तक 256366.22 (दो लाख छप्पन हजार तीन सौ छियासठ दशमलव बाईस) एकड़ भूमि वितरित की जा चुकी है। वितरण के योग्य शेष बची हुई 6112.55 (छः हजार एक सौ बारह दशमलव पच्चपन) एकड़ भूमि के वितरण का कार्य कमिटी द्वारा किया जा रहा है। बिहार भूदान यज्ञ कमिटी को राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, जिससे भूदान भूमि के वितरण एवं इससे जुड़े अन्य कार्यों पर व्यय की प्रतिपूर्ति होती है। वर्ष 2013–14 में भूदान यज्ञ कमिटी को सहाय्य अनुदान मद में 1,43,78,,000 (एक करोड़ तैंतालीस लाख अठ्हत्तर हजार) रूपये का बजट उपबंध किया गया है। वर्ष 2014–15 में भूदान यज्ञ कमिटी के लिए सहाय्य अनुदान हेतु 1,43,78,000(एक करोड़ तैंतालीस लाख अठ्हत्तर हजार) रूपये मात्र का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

20. कृषि गणना प्रक्षेत्र :–

कृषि गणना अन्तर्गत कृषि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं यथा जोतो की संख्या एवं क्षेत्रफल, भू–उपयोग, सिंचाई की स्थिति, फसल के अन्तर्गत क्षेत्रफल आदि से संबंधित आँकड़े संग्रहित किए जाते है, जो योजनाओं के निर्माण के लिए अत्यंत उपयोगी है।

कृषि गणना अन्तर्गत केन्द्रीय योजनागत योजना मद में वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए 282.42 लाख राशि का उपबंध है जो मुख्यतः स्थापना, क्षेत्रीय कर्मियों के मानदेय एवं मुद्रण आदि पर व्यय किया जाता है। गैर योजना मद में स्थापना अन्तर्गत 14.65 लाख राशि का व्यय प्रस्तावित है।

कृषि गणना के प्रथम चरण का कार्य यथा जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल से संबंधित आँकड़ों के संकलन का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा द्वितीय चरण में चयनित 9108 गाँवों के विरूद्ध 7280 (80 प्रतिशत) गाँवों में जोतों के विस्तृत सूचना से संबंधित अनुसूची 'एच' भरे जाने का क्षेत्रीय कार्यपूर्ण हो चुका है। यह प्रयास है कि शेष कार्य शीघ्र सम्पन्न करा लिया जाए।

21. विभागीय मुख्यालय कार्यालय कक्षो / प्रकोष्ठों का आधुनिकीकरण :–

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना के मुख्यालय के कार्यालय कक्षो / प्रकोष्ठों के आधुनिकीकरण के निमित वर्त्तमान वर्ष 2014–15 में रूपये 2, 0000000 /– (दो करोड़ रूपये) की निधि का उपबंध कर्णाकिंत है तथा इस कार्य का संपादन बिहार, राज्य

भवन निर्माण लि0 हॉस्पीटल रोड, शास्त्रीनगर, पटना–23 से कराने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है।

इस सन्दर्भ में औपचारिक प्रक्रियायें प्रगति पर है तथा आधुनिकीकरण का कार्य वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

22. <u>क्षमता वर्द्धन</u> :–

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अन्तर्गत विभागीय/ क्षेत्रीय पदाधिकारियों के कौशल में वृद्धि करने तथा उन्हें आधुनिकी तकनीकि की जानकारी देने हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में क्षमतावर्द्धन हेतु आधुनिकी तकनीकी से युक्त उपस्कर एवं आवश्यक सामग्री, प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्यशाला का आयोजन हेतु रूपये 50,00,000/– (पचास लाख) का उपबंध राज्य योजनान्तर्गत किया गया है। कार्यान्वयन की समय सीमा चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 है।

23. वित्तीय वर्ष 2014–15 में कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित योजनाओं तथा एतदर्थ कर्णांकित राशि की जानकारी आपके माध्यम से सदन को देना चाहूँगा।

क्रं0	योजना का नाम	उद्व्यय (रू0 लाख में)
1.	भू–अभिलेख का अद्यतीकरण	7600
2.	जोतों की चकबंदी	1600.00
3	भूमि सुधार उप समाहत्ताओं के न्यायालय कक्ष / कार्यालय निर्माण की योजना	500
4.	कार्यालय विस्तार, आधारभूत संरचना, विकासात्मक एवं कल्याणकारी लोक प्रयोजन के लिए सभी जिला मुख्यालयों / अनुमंडल मुख्यालयों / प्रखण्ड मुख्यालयों में भूमि बैंक योजना	100
5.	सरकारी भूमि की घेरा बंदी	500
6.	विभागीय मुख्यालय कार्यालय/ प्रकोष्ट का आधुनिकीकरण के मद में	200
7.	क्षमता वर्द्धन मद में	50
8.	टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत गृह विहीनों के लिए वास भूमि	130.77

9.	बिहार गृह स्थल क्रय नीति–2011 के अन्तर्गत सुयोग्य श्रेणी के गृह विहिनों परिवारों के लिए गृह निर्माण हेतु	334.27
10	सम्पर्क सड़क	100
11	महादलित विकास योजना	1961.48
	कुल योग	**13076.52**

गैर योजना एवं योजना मद में प्रस्तावित राशि की विवरणी निम्न प्रकार है।

(क) गैर योजना मद में प्रस्तावित राशि	–	5995035000	(पांच अरब निनानवे करोड़ पचास लाख पैतीस हजार)
(ख) राज्य योजना	–	1297452000	(एक अरब उनतीस करोड़ चौहत्तर लाख बावन हजार)
(ग) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	–	0	(शून्य)
(घ) केन्द्रीय योजनागत योजना	–	38242000	(तीन करोड़ बेरासी लाख ब्यालीस हजार)
कुल योग	–	7330729000	(सात अरब तेतीस करोड़ सात लाख उनतीस हजार)

इस प्रकार राजस्व प्रशासन के द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर निर्धारित समय सीमा के अंदर उपलब्धियों को प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। हमे आशा है कि अपने इस प्रयास में लक्ष्य के अनुरूप ही नहीं बल्कि उस से अधिक सफलता प्राप्त करेंगें।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए रूपये 7330729000 (सात अरब तेतीस करोड़ सात लाख उनतीस हजार) से अनाधिक राशि प्रदान की जाय।

धन्यवाद !

Printed at : Galaxi Enterprises, S.B.I. Building , Patna - 6